स्पीड पोस्ट/फैक्स द्वारा

सं. 405/06/2007-एफएम नई दिल्ली, दिनांक 25 जून, 2012

सेवा में,

मैसर्स चिनार सर्किट्स लिमिटेड
1050/1, सर्वे पार्क,
यूएनएस-33, उन्नायन,
कोलकाता-700075,
पश्चिम बंगाल।

विषय : अनुमति रद्द किए जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 27.04.2012 के कारण बताओ नोटिस, जिसमें आपकी कंपनी के खिलाफ सिलीगुड़ी स्थित आपके चैनल के छह माह से अधिक समय तक प्रचालित न रहने के कारण अनुमति मंजूरी करार (गोपा) के खंड 25.1.2 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई शुरू न किए जाने के संबंध में आपकी कंपनी से कारण बताए जाने के लिए कहा गया था, का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। दिनांक 27.04.2012 के कारण बताओ नोटिस के उत्तर में, आपकी कंपनी ने दिनांक 25.5.2012 के पत्र के तहत यह उल्लेख किया कि एफएम स्टेशन मंदी की मार झेल रहे उद्योग की खराब स्थिति के कारण एक वर्ष की अवधि तक बंद रहा था। आपके पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि इस मंत्रालय के दिनांक 04.05.2011 की संस्वीकृति के अनुपालन में सिलीगुड़ी स्थित उक्त स्टेशन को दिनांक 23.05.2011 को बंद कर दिया गया था।

2. आपकी कंपनी का उत्तर संतोषजनक नहीं है। सिलीगुड़ी स्थित रेडियो चैनल को केवल एक माह की अवधि के लिए आस्थगित किया गया था परंतु आपका चैनल लगभग एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए अर्थात दिनांक 23.05.2011 से अप्रचालित रहा। इसलिए, दिनांक 27.04.2012 के कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में, आपकी कंपनी के खिलाफ अनुमति मंजूरी करार के खंड 25.1.2, जिसमें यह उल्लेख है कि "अनुदाता, चैनल का प्रसारण किसी भी कारण से छह माह से अधिक समय तक बंद रहने की स्थिति में भी अनुमति रद्द कर सकता है," के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

3. **तदनुसार, सिलीगुड़ी में प्राइवेट एफएम रेडियो प्रसारण चैनल को स्थापित करने, उसका अनुरक्षण करने तथा उसे प्रचालित करने हेतु आपकी कंपनी को प्रदान की गई अनुमति गोपा के खंड 25.1.2 के अंतर्गत एतद्द्वारा रद्द की जाती है।** इसके अतिरिक्त, आपका ध्यान गोपा के खंड 25.3.5 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख है कि "अनुमति रद्द किए जाने की स्थिति में अनुमातिधारक को एकमुश्त गैर-प्रतिदेय प्रवेश शुल्क (ओटीईएफ) की हानि उठानी होगी।"

भवदीय,

(सी. एस. कौशिक)
उप-सचिव (एफएम)